न्यायालय उपखण्ड अधिकरी किशनगढबास अलवर (राज0)

अध्याशाषितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

प्रार्थना पत्र सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
62/20	25.09.2021	27.4.22

उनवान

1. जमीला पुत्री ईमामुदीन पत्नि गफूर खां जाति मेव निवासी मांचा तहसील किशनगढबास हाल निवासी रायपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

2. रूकसीना पुत्री ईमामुदीन पत्नि फजरू जाति मेव निवासी मांचा तहसील किशनगढबास हाल निवासी खिलौरा तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

3. मरीयम पुत्री ईमामुदीन पत्नि आसब जाति मेव निवासी मांचा तहसील किशनगढबास निवासी हाल पाटन खुर्द तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

:—प्रार्थीयागण

बनाम

1. ईमामुदीन पुत्र पीरू खां जाति मेव निवासी ग्राम पोस्ट मांचा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

2. हमीदा(हमीद) पुत्र पीरू खां जाति मेव निवासी ग्राम पोस्ट मांचा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

3. मु0 छुटिया बैवा फजरू जाति मेव निवासी ग्राम पोस्ट मांचा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

4. अब्दुल रज्जाक

5. असगर

6. आसीन खां

7. ईमरान अली।

8. खुर्शेद अहमद पुत्रान फजरू जाति मेव निवासी ग्राम पोस्ट मांचा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

9. राजस्थान स्टेट जर्ये तहसीलदार किशनगढबास (भूमिधारी अधिकारी) तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थितिः—1. श्री खुर्शेद अहमद वकील प्रार्थी की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

2. श्री रतिराम चौधरी वकील अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:–

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि:–राजस्व ग्राम मांचा तहसील किशनगढबास में स्थित हाल आराजी खसरा नं0 740 रकबा 0.9100हे0, किस्म चा0दो में से 5/16 भाग व खसरा नं0 745 रकबा 0.4900हे0 किस्म चा0दो मे से 1/4 भाग व खसरा नं0 798 रकबा 0.4200हे0 किस्म बा0अ0 मे से 1/4 दर 1/3 यानि कुल 1/12 भाग व 735 रकबा 0.1500हे0 किस्म चा0दो सालिम दर्ज हिस्सा जमाबन्दी अनुसार ग्राम मांचा तह0 किशनगढबास मिन प्रार्थीयागण के पिता की शामलात खातेदारी कब्जा काश्त की मुताबिक जमाबन्दीनुसार पैत्रिक की भूमि है। जो पक्षकारान के पूर्वज मृतक पीरू पुत्र नूरखां मेव से प्राप्त हुई है। जो आराजी प्रार्थनापत्र प्रार्थीयागण में विवादित आरजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी संवत् व नकल साबिक रिकार्ड संलग्न प्रा0पत्र है। चूंकि पक्षकारान एक ही परिवार खानदान के सदस्य है। जिनका मौरूसेआला पीरू पुत्र नूरखां मेव साकिन मांचा था, जिनका शजरा परिवार वाद पत्र के जिमन नं0 2 मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

विवादित आराजीयात पर प्रार्थीयागण के पिता अप्रार्थी सं0 1 के हिस्से आराजी हम प्रार्थीयागण का कानूनी अधिकार निहित है। और पैतृक आराजी पर हम प्रार्थीयागण समभाग में अपने हिस्से (1/4) पर अपने नाम का तन्हा रूप से खातेदारी का इन्द्राज कराने की मुस्तहक है। चूकि हम प्रार्थीयागण के पिता अप्रार्थी सं0 1 का नाम मौजूदा जमाबन्दीयात व साबिक जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज चला आ रहा है। जो अप्रार्थी सं0 1 को अपने पूर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई है । इसलिए मिन प्रार्थीयागण वर्तमान में मौके पर काबिज वो दखील है। चूंकि मिन प्रार्थीयागण का पिता अप्रार्थी सं0 1 मानसिक रूप से विक्षिप्त व 80 साल का वृद्ध होने के कारण अप्रार्थी सं0 2 लगा0 7 उसकी नासमझी वो अज्ञानता का फायदा उठाने व षडयन्त्र पूर्वक उससे कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर मिन प्रार्थीयागण के पिता की हिस्से आराजी को अपने हक मे कराने पर आमन्दा है। जिसकी जानकारी मिन प्रार्थीयागण को दिनांक 20.09.2020 को फसल पैदावार लेने व अपने पिता का हाल चाल जाने के लिए हम प्रार्थीयागण को अपने गांव आने पर हुई । यदि अप्रार्थीगण 2 लगा0 7 ने अप्रार्थी सं0 1 की मानसिक रूप से विक्षिप्तता व अनपढ होने का नाजायज फायदा उठा लिया तो हम प्रार्थीयागण को अपने अधिकार वो हक हकूक आराजी से महरूम होना पडेगा। और प्राकृतिक न्याय से वंचित होना पडेगा। इसलिए न्याय हित में अप्रार्थीगण 1 लगा0 7 को ताहुक्मनी स्थाई निषेद्य आज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी को अप्रार्थीगण 2 लगा0 7 व अन्य किसी भी व्यक्ति को रहन बैय हिबा लीज इत्यादि से मुंतकिल ना करे, ना कब्जा काश्त में प्रार्थीयागण को मजाहमत वो मदाखलत पैदा करे, ना हकूक प्रार्थीयागण समाप्त करे। अतः प्रार्थीयागण विरूद्ध अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अस्थाई निषेद्य आज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकरी है। अतः प्रा0पत्र हुक्मइम्तनाई चंदरोजा पेश करना लाजिम आया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 25.9.2020 को दिनांक 19.10.20 तक इस अमर का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया गया कि अप्रार्थीगण मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जबाब दर0पेश कर निवेदन किया कि आराजी विवादित प्रतिवादी सं0 1 की विरासत में प्राप्त हुई है। तथा प्रतिवादी सं0 एक खातेदार मालिक था। जिसने अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 को जरिये इकरारनामा बय कर दिया। जिसक की पालना ना करने पर अप्रार्थीगण नं0 2 व3 ने न्यायालय अपर जिला एवं सैशन जज महोदय नं0 1 किशनगढबास मे वाद हमीदा बनाम इमामूदीन दायर किया था जिसका निर्णय 22.12.16 को किया गया। और न्यायालय श्रीमान के आदेश की पालना नही करने पर इजराय दायर की गई जिस इजराय की पालना मे दिनांक 18.2.2020 को बयनामा तहरीर किया जाकर न्यायालय श्रीमान द्वारा बयनामा को कार्यालय उपपंजीयक किशनगढबास ने दिनांक 9.9.2020 को पंजिबद्व किया था।अप्रार्थी नं01 द्वारा प्रार्थीगण की मौजूदगी में अराजी का बैचान किया गया था। और कब्जा मौके पर अप्रार्थीगण को संभलाया गया। अप्रार्थीस0 2 व 3 वक्त खरीद से ही मौके पर काबिज है। काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण का कोई संबंध वो सरोकर ही नही है। प्रार्थीगण रकम ऐठने की नियत से वाद दायर कर स्थगन आदेश जारी कराये है। जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 1 का आराजी से कोई संबंध व सरोकार ही नही है। विवादित आराजी अपार्थीगण की खरीदशुद्वा कब्जा काश्त है इसलिए सुविधा का संतुलन बहक अप्रार्थी सं0 2 व 3 है। वादीगण ने शुद्वहस्त होकर वाद दायर नही किया है। वाद पत्र मे वादीगण की माता अहम पक्षकार वाद थी जिसको पक्षकार नही बनाया गया। जो प्रतिवादीसं0 1 की विधिक वारिस है। जीवित है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए न्यायालय हाजा का आदेश 25.9.2020 करे ताफैसला दावा स्थाई किये जाने निवेदन किया। तथा वकील अप्रार्थीगण ने भी अपने जबाब दर0 मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 25.9.2020 अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी सवंत 2075–76 के अनसार अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड के खातेदार दर्ज रिकार्ड रहा विवादित आराजी के दादालाई आराजी का प्रश्न के सन्दर्भ मे वकील प्रार्थी ने

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कोई ऐसा दस्तावेज पेश नही किया है जिससे साबित हो सके की विवादित आराजी प्रार्थीगण की दादालाई आराजी है चूंकि अप्रार्थी राजस्व रिकार्ड का खातेदार है इसलिए सुविधा का संतुलन एवं प्राईमाफैसा फिलहाल अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए हम न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 25.9.2020 को अपास्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है।

अतः आदेश है किः—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0बाबत आराजी ख0न0 740/0.91 हे0 मे से 5/16 भाग, 745/0.49हे0, में से 1/4भाग, 798/0.42 हे0 मे से 1/4 दर 1/3 यानि 1/12 भाग, 735/0.15 हे0 सालिम वाके ग्राम मांचा तहसील किशनगढबास जिला अलवर सिद्व नही होने के कारण खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 25.9.2020 अपास्त किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर सलग्न मूल वाद रहे।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)